फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 52 प्रभात जयपुर, मंगलवार 22 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

epaper.rashtradoot.com

From Status To Identity

Recently, it has been suggested to use Tr. as a prefix to teacher's name. On the other hand, the legal profession has hesitated to use Lr.

The Story of Carthage Isn't Necessarily True

A new book by historian and archaeologist Eve MacDonald paints a more complete portrait of Carthage, the once-great African society destroyed by Rome

दिल्ली युनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिज़ल्ट से राहुल बहुत चिंतित और परेशान हैं

इस बार, हर बार की तरह हार पर लीपापोती नहीं होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं

- क्योंकि राहुल गांधी जैन ज़ी में अपनी एक साख बना रहे हैं, उसमें सफलता भी मिलने लगी थी, लेकिन इस हार ने उस सफलता को पोंछ डाला है, अतः इस हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर गाज अवश्य गिरेगी।
- इसमें एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ पर संकट आ सकता है, जाखड़ राजस्थान से हैं और वे चाहते थे कि कोई मीणा प्रत्याशी दिल्ली छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, उन्होंने इस पद पर विजय शंकर मीणा को उतारा था।
- इसी प्रकार कन्हैया कुमार, जो एन एस यू आई के प्रभारी हैं, पर भी गाज गिर सकती है, उन्होंने दिल्ली के एक कांग्रेसी नेता के बेटे, मनीष चतरथ को टिकट दिलाने में अहम् भूमिका निभाई थी, समझा जाता है कि इसी फैसले के कारण सारे समीकरण बदल गए।
- यही वजह रही कि एबीवीपी, जिसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, शानदार तरीके से जीत गई।

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 सितम्बर। राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के सभी चार सीटों पर हार जाने से बेहद नाराज हैं। उसकी प्रतिद्वंदी एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ने तीन सीटें जीत लीं, जबकि एक सीट उस निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई, जो पहले कांग्रेस के साथ था।

राहुल गांधी ने के.सी. वेणुगोपाल से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि टिकट कैसे दिए गए, इसके पीछे कौन था और वास्तव में जो कुछ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

समझा जाता है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण कांग्रेस को भारी किरकिरी का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी का मनोबल भी प्रभावित हुआ।

एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार हैं और समझा जाता है कि दिल्ली के एक नेता के बेटे मनीष चतरण्य को टिकट दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। माना जा रहा है कि इसी फैसले ने पूरे चुनाव का समीकरण बिगाड़ दिया और दूसरी सीटों पर भी इसका असर पड़ा।

मनीष ने उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर जोर दिया, जिसके कारण बेहद लोकप्रिय जाट नेता शोकीन को हटा दिया गया। इसके बाद शोकीन ने एनएसयूआई छोड़ दी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा तथा सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की।

एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़, जो राजस्थान से हैं, इस बात पर अड़े हुए थे कि अध्यक्ष पद के लिए एक मीणा उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए।

उन्होंने अपने निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र से एक मीणा उम्मीदवार तलाश लिया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि राजस्थान का एक मीणा दिल्ली विश्वविद्यालय पर शासन कर सकता है।

झाखड़ मीणा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने पर इतने अधिक केंद्रित थे कि उन्होंने शोकीन को अध्यक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सैशन कोर्ट ने सोनिया गांधी पर मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश रद्द किया

नई दिल्ली, 21 सितंबर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में कथित रुप से नाम जुड़वाने पर

- मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वोटर लिस्ट में कथित रूप से नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए कहा कि इस पर दोबारा विचार करें और तर्कसंगत आदेश पारित करें।

सेशंस कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है। सेशंस कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मामले पर 29 सितंबर को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया। सेशंस कोर्ट ने 25 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दी थी।

भारत की पर्यटन क्रांति ने ''एआई युग'' में प्रवेश किया

अब एआई यह तय करने में मदद कर रहा है कि कहां जाना चाहिए और यात्रा का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाना चाहिए

- वर्ल्ड ट्रैवल एण्ड टूरिज़्म काउन्सिल के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में यात्रा एवं पर्यटन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 263.6 अरब डॉलर का योगदान दिया था जो 2026 में 286.1 अरब डॉलर होने की उम्मीद है और वर्ष 2036 तक तो यह 527 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
- इसमें सबसे बड़ा योगदान घरेलू पर्यटकों का है। वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों का यात्रा खर्च 203 अरब डॉलर रहा जो कुल खर्च का 86 प्रतिशत था।
- भारतीय यात्री अब केवल टूरिज़्म मार्केट का हिस्सा नहीं, बल्कि इसका ग्रोथ इंजन बन गया है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 सितम्बर। भारत का पर्यटन अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। महामारी के बाद पर्यटन में आई तेजी अब यात्रा के स्थायी विस्तार में बदल गई है। इसके पीछे बढ़ती आय, उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और अनुभवों पर खर्च करने की बढ़ती इच्छा जैसे कारण हैं। ''वर्ल्ड ट्रैवल एण्ड टूरिज़्म काउंसिल'' (डब्ल्यूटीटीसी) के ताजा अनुमानों में इस मौके के पैमाने को दिखाया गया है। वर्ष 2025 में यात्रा एवं पर्यटन ने भारत की अर्थव्यवस्था में 263.6 अरब डॉलर का योगदान दिया, 4.62 करोड़ नौकरियों को समर्थन दिया और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। डब्ल्यूटीटीसी को उम्मीद है कि 2026 में यह क्षेत्र 8.5 प्रतिशत बढ़कर 286.1 अरब डॉलर का हो जाएगा और 4.81 करोड़ नौकरियों को समर्थन देगा। अनुमान है कि 2036 तक यह क्षेत्र 527 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी एक दशक में लगभग दोगुना हो जाएगा।

यह वृद्धि, पर्यटन को भारत की प्रमुख ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में मजबूती से स्थापित करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यूटीटीसी के आंकड़े बताते हैं कि यह मुख्य रूप से घरेलू खपत की कहानी है। वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों का खर्च 203 अरब डॉलर रहा, जो यात्रा एवं पर्यटन पर हुए कुल खर्च का 86 प्रतिशत था। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, 2025 में घरेलू पर्यटकों की यात्राओं की संख्या 429 करोड़ रही, जो 2024 की तुलना में 45.6 प्रतिशत अधिक है।

इसलिए भारतीय यात्री अब केवल टूरिज़्म मार्केट में हिस्सा लेने वाला नहीं रह गया है। भारतीय यात्री अब इसका प्रमुख विकास इंजन बन रहा है।

यह बदलाव कंज़म्पशन में बड़े बदलाव को दिखाता है। बढ़ती शहरी और मिडिल क्लास आबादी के लिए यात्रा अब केवल कभी-कभार किया जाने वाला महंगा शौक नहीं रह गई है, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है। छोटी यात्राएं, लंबे सप्ताहांत की छुट्टियां, तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, रोमांच, वन्यजीव, विरासत, खान-पान और अनुभव आधारित यात्राएं, ये सभी बाज़ार को बढ़ा रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओवैसी ने सपा और कांग्रेस को ''धर्म संकट'' में डाला

असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि कोई भी पार्टी अकेले भाजपा को नहीं रोक सकती इसलिए समान विचारधारा वाले दलों को हाथ मिलाना चाहिए

- सपा, जो काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है, को लगता है कि अगर ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया गया तो इससे यूपी में ओवैसी की मुखर अल्पसंख्यक राजनीति को जगह और वैधता मिलेगी।
- कांग्रेस के सामने भी यही संकट है कि अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया तो वे मुस्लिम वोट काटेंगे और साथ लिया तो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान होगा।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 सितंबर। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी के नए प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को राजनीतिक दुविधा में डाल दिया है। कानपुर में बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि कोई भी एक पार्टी भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से नहीं रोक सकती और उन्होंने ''समान विचारधारा वाले'' दलों को हाथ मिलाने का आ ान किया। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों को लेकर फैसला 2 अक्टूबर तक होने की उम्मीद है।

सपा के लिए मुख्य समस्या चुनावी गणित और पहचान की है। दोनों दल प्रमुख क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं पर काफी हद तक निर्भर हैं। गठबंधन करने से ओवैसी की मुखर अल्पसंख्यक राजनीति को जगह और वैधता मिलने का खतरा है, जबकि प्रस्ताव को ठुकराने पर ए आई एम आई एम उन सीटों पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोढेरा सूर्य मंदिर पर सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी होगा

मेहसाणा, 21 सितंबर। गुजरात की ऐतिहासिक धरोहर मोढ़ेरा सूर्य मंदिर की 1000 वर्ष पुरानी गौरवगाथा को स्मरणीय बनाने के लिए 100 रू. का स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह स्मारक

- गुजरात के इस मंदिर की 1000 वर्ष की गौरव यात्रा की स्मृति में सिक्का जारी होगा।

सिक्का वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा। यह जानकारी राज्य सूचना विभाग ने दी।

मोढ़ेरा सूर्य मंदिर अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को स्मारक सिक्के के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। 100 रू. का यह स्मारक सिक्का मोढेरा सूर्य मंदिर की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप अब प्रैस को कंट्रोल करने की तैयारी में हैं

ट्रंप ने तीन प्रमुख समाचार संगठनों, सीएनएन, एमएस नाओ एंड पॉलिटिक्स को राष्ट्रपति और वाइट हाउस के कार्यक्रमों का कवरेज करने से रोका और उनके संवाददाताओं के कार्ड भी छीन लिए

- इसके जवाब में तीनों मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के खिलाफ ''फर्स्ट अमैंडमैंट'' मुकदमा दायर कर दिया है और आरोप लगाया है कि वाइट हाउस ने संविधान का उल्लंघन किया है।
- ट्रंप द्वारा तीन समाचार संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद राष्ट्रपति की गतिविधियों को कवर करने वाले पत्रकारों के पूल ने राष्ट्रपति कार्यक्रमों के कवरेज से दूर रहने का फैसला किया। एबीसी, सीबीएस, फॉक्स न्यूज़ और एनबीसी ने सीएनएन के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के फैसले की निंदा की।
- ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि इन संगठनों ने सरकार व राष्ट्रपति के कामकाज पर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 सितम्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक और जंग शुरू कर दी है-इस बार यह अमेरिकी प्रेस और अमेरिकी संविधान में दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ एक अंदरुनी लड़ाई है।

किसी सरकार और बड़े न्यूज़ मीडिया के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है और भारत में भी इस तरह की कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इसलिए इस देश में, डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिका के स्वतंत्र मीडिया के बीच चल रहे टकराव में काफी रुचि है।

ट्रंप ने तीन प्रमुख समाचार संगठनों-सीएनएन, एमएस नाओ और पॉलिटिक्स को राष्ट्रपति के कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने से रोक दिया है। सोमवार सुबह, जब इन तीनों संगठनों के पत्रकार अपने नियमित काम के लिए वाइट हाउस पहुंचे, तो वाइट हाउस ने उनके प्रेस कार्ड भी जब्त कर लिए।

इसके जवाब में, तीनों समाचार संस्थानों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रथम संशोधन (फर्स्ट अमैंडमैंट) के तहत मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि वाइट हाउस ने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया है और संविधान में जनता को दिए गए अधिकार को सीमित किया है।

इन तीन समाचार संगठनों पर प्रतिबंध के बाद, राष्ट्रपति की गतिविधियों को कवर करने वाले वाइट हाउस के पत्रकारों के समूह ने राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की कवरेज से दूर रहने का फैसला किया है। वाइट हाउस के पत्रकारों में एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत चुने हुए न्यूज़ आउटलैट्स बाकी सभी की तरफ से राष्ट्रपति से जुड़ी खबरें कवर करते हैं।

एबीसी, सीबीएस, फॉक्स न्यूज और एनबीसी ने सीएनएन का साथ दिया और इस हरकत की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया, जो कि एक दुर्लभ घटना है। वाइट हाउस के टेलीविजन प्रेस पूल के सदस्यों के रूप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआईआर से लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित - खड़गे

नई दिल्ली, 21 सितंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रह गई है,

- उन्होंने कहा, दिल्ली में इस प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है।

बल्कि इसके प्रभाव लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवाल खड़े कर रहे हैं।

खड़गे ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि कांग्रेस शुरू से ही एसआईआर प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताती रही है। अब जब यह प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है, तो इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पुलिस केकडी वॉर्ड सदस्य को गिरफ्तार कर चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित न करे'

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चयनित वॉर्ड सदस्य को पुलिस की किसी भी तरह की दण्डात्मक कार्रवाई से सुरक्षित किया

- गौरतलब है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आये भाजपा के विधायक ने, 20 सितम्बर रात्रि 10.30 बजे, एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाजपा के वॉर्ड मेम्बर राजेन्द्र कुमार चौधरी ने रिटर्निंग ऑफिसर, अजमेर, से बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करने की गुहार की है और साथ ही कांग्रेस वॉर्ड सदस्य, अनिल मित्तल को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
- याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा, 21 सितम्बर की रात 12 बजे पुलिस वाले अनिल मित्तल के घर आये थे। आर. पी. सिंह का कहना था कि यह पुलिस अधिकारी संभवतः भाजपा के स्थानीय विधायक और वॉर्ड सदस्य की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए अनिल मित्तल को गिरफ्तार करने आये थे। उन्होंने अदालत के समक्ष गुहार की थी उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी से सुरक्षा मुहैया की जाये।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 21 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका के पार्षद अनिल मित्तल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए आदेश दिया और कहा कि राजस्थान पुलिस उनके खिलाफ किसी भी शिकायत को माध्यम बनाते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी अनिल मित्तल के घर पर तैनात हैं वह भी उन्हें बोर्ड अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने से वंचित करने का साहस ना करें। इसके साथ ही अदालत ने रिटर्निंग अधिकारी (स्थानीय एस.डी.एम.) को लंबित शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुसार अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिससे संभावना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए, इसलिए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत के तौर पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना उचित है।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को नगर पालिका, केकड़ी के बोर्ड का सदस्य चुना गया है। उन्होंने आगे बताया कि केकडी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड सदस्यों का चुनाव होता है और कम से कम 21 वार्ड सदस्यों की मत से बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव तय किया जीता जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद केकड़ी में 20 वार्ड मेम्बर कांग्रेस पार्टी से जीत कर आये वहीं 18 भाजपा से और 2 आरएलपी से जीत कर आये। उन्होंने कहा कि 21 सितम्बर को सुबह 10 बजे से केकडी नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव आयोजित किये गये है।

उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि केकड़ी के भाजपा के विधायक ने, 20 सितम्बर (यानि बोर्ड अध्यक्ष के चुनाव के एक दिन पूर्व ही) रात्रि 10.30 बजे, एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाजपा के वार्ड मेम्बर राजेन्द्र कुमार चौधरी ने रिटर्निंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा में पूरा वंदे मातरम गाया

बेंगलुरु, 21 सितंबर। कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में वंदे मातरम को केवल दो छंदों के बाद बंद कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा के विधायकों ने इसे

- अधिकारिक रूप से विधानसभा में दो छंदों के बाद रिकॉर्डिंग रोक दी गई।

सीमित करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गीत का पूरा संस्करण गाया।

भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व को खुश करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विश्वनाथ ने कहा कि आजादी से पहले भी कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया था और अपनी बैठकों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)